RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
मार्च
15
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

IT Bill 2025: सरकार को एक्सेस कोड ओवरराइड करने का अधिकार, गोपनीयता पर चिंता / IT Bill 2025: Government empowered to override access code, privacy concerns

संदर्भ:

प्रस्तावित **आयकर विधेयक, 2025** में एक विवादास्पद प्रावधान शामिल किया गया है, जो सरकारी संस्थाओं को डिजिटल एक्सेस नियंत्रणों को दरकिनार करने की अनुमति देता है। यह प्रावधान डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं और कर सलाहकार कंपनियों के बीच गोपनीयता को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा कर रहा है।

प्रस्तावित आईटी बिल में सरकारी अधिभूत शक्तियाँ:

प्रमुख प्रावधान:

- **वर्चुअल डिजिटल वातावरण तक पहुँच (Access to Virtual Digital Environments):**
  - तलाशी और जब्ती कार्यवाही के दौरान अधिकारियों को वर्चुअल डिजिटल वातावरण तक पहुँचने की शक्ति दी गई है।
- **एन्क्रिप्शन को बायपास करना (Bypassing Encryption):**
  - सरकारी एजेंसियों को कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल स्पेस के एन्क्रिप्शन या एक्सेस कोड को बायपास करने की अनुमति।
- **डिक्रिप्टेड डेटा की माँग (Demand for Decrypted Data):**
  - टेक कंपनियों को डिक्रिप्टेड डेटा या बैकडोर एक्सेस प्रदान करने के लिए बाध्य करना।
  - उदाहरण: राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए WhatsApp की एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को बायपास करना।
- **प्रभावित क्षेत्र (Scope):**
  - सोशल मीडिया प्लेटफार्म, मैसेजिंग एप्स और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर लागू।
- **कानूनी ढांचा (Legal Framework):**
  - आईटी अधिनियम, 2000 में संशोधन के रूप में प्रस्तावित, डेटा इंटरसेप्शन पर पुराने प्रावधानों को बदलने के लिए।

परिभाषा और क्षेत्र (Definition and Scope):

- **वर्चुअल डिजिटल स्पेस (Virtual Digital Space):**
  - इसमें ईमेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग और निवेश खाते, क्लाउड सर्वर और इसी प्रकार के अन्य डिजिटल प्लेटफार्म शामिल हैं।

संभावित प्रभाव (Potential Implications)

टेक कंपनियों पर दबाव: यह प्रावधान टेक कंपनियों को उपयोगकर्ता की सुरक्षा उपायों को बायपास करने में सहायता करने के लिए बाध्य कर सकता है।

गोपनीयता की चिंता: प्राइवेसी समर्थकों का मानना है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (Digital Personal Data Protection Act) इन प्रावधानों से व्यक्तियों की सुरक्षा नहीं कर पाएगा।

जोखिम (Risk): स्पष्ट सुरक्षा उपायों के बिना, करदाता उत्पीड़न और अनावश्यक डेटा जांच का खतरा बना रह सकता है।

आलोचना (Criticism):

इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन:

- अत्यधिक प्रवर्तन शक्तियों (Excessive Enforcement Powers) के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया।
- विधेयक में न्यूनतम हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए 'प्रोपोर्शनैलिटी स्टैंडर्ड' (Proportionality Standard) शामिल करने की आवश्यकता है।

सुझाव (Suggestions)

न्यायिक निगरानी (Judicial Oversight): डिक्रिप्शन अनुरोधों (Decryption Requests) के लिए न्यायालय द्वारा स्वीकृत वारंट अनिवार्य करना।

पारदर्शिता (Transparency): इंटरसेप्शन अनुरोधों (Interceptio) पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना।

बहु-हितधारक संवाद: विधेयक को सुधारने के लिए टेक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और विधायकों को शामिल करना।

संतुलित दृष्टिकोण: अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं (जैसे, UK का Investigatory Powers Act और निगरानी निकाय) के अनुरूप बनाना।

भारत में घरेलू ऋण और उपभोग ऋण / Household Debt and Consumption Loans in India

संदर्भ:

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी **वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) 2024** में घरेलू वित्त और उपभोग ऋण से जुड़ी चिंताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

- **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** की **वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) 2024** में घरेलू ऋण में चिंताजनक वृद्धि को उजागर किया गया है, जो जून 2021 में **GDP के 36.6%** से बढ़कर जून 2024 में **42.9%** तक पहुँच गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

1. बढ़ता हुआ घरेलू ऋण (Rising Household Debt):

- घरेलू ऋण-से-जीडीपी अनुपात (Household Debt-to-GDP Ratio) जून 2021 के 36.6% से बढ़कर जून 2024 में 42.9% हो गया, जबकि घरेलू संपत्तियों में कमी आई।
- ऋण वृद्धि का कारण उधारकर्ताओं की संख्या में वृद्धि है, न कि प्रत्येक उधारकर्ता के कर्ज में वृद्धि।
- सब-प्राइम उधारकर्ता (Sub-prime Borrowers) कम हो रहे हैं; अब दो-तिहाई ऋण प्राइम और सुपर-प्राइम उधारकर्ताओं (Prime and Super-prime Borrowers) से संबंधित हैं।

2. ऋण लेने के उद्देश्य में बदलाव (Shift in Borrowing Purpose):

- ऋण लेने के तरीकों में बदलाव – निम्न-आय समूहों में संपत्ति निर्माण (Asset Creation) की बजाय उपभोग (Consumption) के लिए अधिक असुरक्षित ऋण (Unsecured Loans) लिया जा रहा है।
- सुपर-प्राइम उधारकर्ता (Super-prime Borrowers): 64% ऋण संपत्ति निर्माण के लिए उपयोग किए जा रहे हैं।
- सब-प्राइम उधारकर्ता (Sub-prime Borrowers): लगभग 50% ऋण उपभोग के लिए उपयोग हो रहे हैं।
- निम्न-आय समूह असुरक्षित क्रेडिट (जैसे, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन) पर अधिक निर्भर हैं।

3. निम्न-आय वाले घरों के लिए बढ़ता वित्तीय तनाव: सितंबर 2023 से क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन में अधिक डिफॉल्ट (Defaults) देखे गए हैं।

- असुरक्षित ऋण (Unsecured Debt) में डिफॉल्ट, सुरक्षित ऋणों (जैसे, हाउसिंग लोन, वाहन ऋण) को भी प्रभावित कर सकते हैं।
- निम्न-आय वर्ग में बढ़ता वित्तीय तनाव (Financial Stress) आर्थिक स्थिरता को कमजोर कर सकता है।

उपभोग ऋण लेने में चिंताजनक रुझान:

1. बढ़ते उपभोग ऋण:

- उपभोग के लिए ऋण (जैसे, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड ऋण) का हिस्सा बढ़ा है, जबकि उत्पादक उद्देश्यों (जैसे, हाउसिंग या शिक्षा) के लिए ऋण का हिस्सा कम है।

2. घरेलू संपत्तियों में गिरावट:

- घरेलू संपत्तियाँ जून 2021 में जीडीपी का 110.4% से घटकर मार्च 2024 में 108.3% हो गई हैं, जो यह दर्शाता है कि ऋण लेना संपत्ति निर्माण में परिवर्तित नहीं हो रहा है।

3. ऋण लेने में आय की असमानता:

- सुपर-प्राइम उधारकर्ताओं (Super-prime Borrowers) के 64% ऋण संपत्ति निर्माण के लिए हैं।
- सब-प्राइम उधारकर्ताओं (Sub-prime Borrowers) के लगभग 50% ऋण उपभोग के लिए हैं, जो ₹5 लाख वार्षिक से कम कमाने वाले निम्न-आय वाले परिवारों को अधिक प्रभावित कर रहे हैं।

4. असुरक्षित ऋण का तनाव:

- सितंबर 2023 की तुलना में सितंबर 2024 में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड ऋण में डिफॉल्ट्स की संख्या बढ़ गई है, जो निम्न-आय वाले उधारकर्ताओं में वित्तीय दबाव को दर्शाता है।

5. जोखिम का बढ़ता प्रभाव:

- लगभग 50% उधारकर्ताओं के पास असुरक्षित ऋण (जैसे, क्रेडिट कार्ड ऋण) के साथ-साथ हाउसिंग या वाहन ऋण भी हैं।
- एक श्रेणी में डिफॉल्ट होने पर सभी ऋणों को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिससे वित्तीय प्रणाली में जोखिम और भी बढ़ सकता है।

भारत-श्रीलंका मत्स्य विवाद / India- Sri Lanka Fisheries Dispute

संदर्भ:

हाल ही में, श्रीलंका के सदन के नेता **बिमल रत्नायके** ने भारत से **श्रीलंकाई जलक्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने** के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का आह्वान किया। भारत के पूर्व समर्थन को स्वीकार करते हुए, उन्होंने श्रीलंका के **उत्तरी प्रांत के तमिल भाषी मछुआरों** की आजीविका की सुरक्षा पर जोर दिया, जो इस समस्या से गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

विवाद की पृष्ठभूमि:

1. **विवाद का कारण (Cause of Dispute):** यह विवाद मुख्य रूप से भारत और श्रीलंका के बीच पाल्क खाड़ी क्षेत्र (Palk Bay Region) में मछली पकड़ने के अधिकारों को लेकर है, जहाँ दोनों देशों के मछुआरे अपनी आजीविका के लिए समुद्री संसाधनों पर निर्भर हैं।
2. **भारतीय मछुआरों की गतिविधियाँ:** विशेष रूप से तमिलनाडु और पुडुचेरी के मछुआरे बेहतर मछली पकड़ने के क्षेत्रों की तलाश में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) को पार कर श्रीलंकाई जलक्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं।
3. **विवाद की तीव्रता (Intensification of the Dispute):**
    - 1974 के भारत-श्रीलंका समुद्री समझौते (Indo-Lanka Maritime Agreement) के तहत भारत ने कच्चातिवु द्वीप (Katchatheevu Island) को श्रीलंका को सौंप दिया।
    - इसके परिणामस्वरूप भारतीय मछुआरों के पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे विवाद और भी गहरा हो गया।

भारत-श्रीलंका मछली पकड़ने का विवाद:

1. **मछुआरों के परिवारों पर प्रभाव:** श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी और कैद उनके परिवारों के लिए आर्थिक संकट का कारण बनती है।
2. **जीवन की हानि (Loss of Life):** समुद्री संघर्षों के कारण कई मछुआरों की मृत्यु और लापता होने की घटनाएं हुई हैं, जिससे मछुआरा समुदायों के लिए जोखिम बढ़ गए हैं।
3. **निगरानी की बढ़ी हुई लागत:** अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) की निगरानी के लिए भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंकाई नौसेना को भारी संसाधनों की आवश्यकता होती है।
4. **तस्करी और सुरक्षा चिंताएँ :**तस्कर इस विवादित क्षेत्र का उपयोग ड्रग्स, हथियारों और अन्य अवैध सामानों की तस्करी के लिए करते हैं।
5. **भारत-श्रीलंका संबंधों में तनाव:**
    - श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों के साथ कठोर व्यवहार के आरोपों के कारण कूटनीतिक तनाव उत्पन्न होते हैं।
    - यह विवाद श्रीलंका में मानवाधिकार उल्लंघनों पर संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों पर भारत के रुख को प्रभावित करता है।
    - **उदाहरण:** 2012 और 2013 में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ UNHRC प्रस्तावों का समर्थन किया, जिसमें मछली पकड़ने के मुद्दे और तमिल चिंताओं का भी प्रभाव था।
6. **पर्यावरणीय प्रभाव (Environmental Impact):** भारतीय मछुआरों द्वारा बॉटम ट्रॉलिंग (Bottom Trawling) से समुद्र तल, मछलियों के प्रजनन स्थल और कोरल रीफ्स (Coral Reefs) को गंभीर नुकसान पहुँचता है।

विवाद को सुलझाने में चुनौतियाँ :

1. **कानूनी और कूटनीतिक बाधाएँ:** पहले के समय में गिरफ्तार मछुआरों को जल्दी रिहा कर दिया जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में समुद्री कानूनों का सख्ती से पालन किया जा रहा है, जिससे दोषसिद्धि और जुर्माने की घटनाएं बढ़ गई हैं।
2. **आर्थिक निर्भरता:** मछली पकड़ना दोनों देशों के तटवर्ती समुदायों के लिए प्रमुख आजीविका का साधन है, जिससे मछली पकड़ने की प्रथाओं में प्रतिबंध या बदलाव लागू करना कठिन हो जाता है।
3. **पर्यावरणीय क्षरण:** अत्यधिक मछली पकड़ने और बॉटम ट्रॉलिंग जैसी विनाशकारी प्रथाओं से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता है।

आप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025 / Immigration and Foreigners Bill, 2025

संदर्भ:

केंद्र सरकार ने लोकसभा में **आप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025** पेश किया, जिसका उद्देश्य भारत की **आप्रवासन प्रणाली में व्यापक सुधार** करना है।

विधेयक के उद्देश्य (Objectives of the Bill):

1. **प्रवासन से संबंधित कानूनों में एकरूपता लाना:**
   - प्रवासन से संबंधित कानूनों में दोहराव को समाप्त करना।
2. **विभिन्न अधिनियमों का समेकन (Consolidation of Acts):**
   - यह विधेयक चार मौजूदा अधिनियमों के प्रावधानों को समेकित करता है:
3. **पुराने और अप्रचलित कानूनों को समाप्त करना:**
   - ये सभी अधिनियम पूर्व-संवैधानिक और युद्धकालीन संदर्भों से जुड़े हैं, इसलिए इन्हें अद्यतित करना आवश्यक है।

मुख्य प्रावधान (Key Provisions):

1. **चार पुराने अधिनियमों को प्रतिस्थापित करना:**
   - यह विधेयक स्वतंत्रता-पूर्व और स्वतंत्रता के तुरंत बाद के चार अधिनियमों को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है:
     - पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920
     - विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939
     - विदेशियों का अधिनियम, 1946
     - प्रवासन (वाहकों की देयता) अधिनियम, 2000
2. **प्रवासन ब्यूरो की स्थापना:**
   - **अनुभाग 5 (Section 5):** विधेयक में प्रवासन ब्यूरो की स्थापना का प्रस्ताव है, जिसका नेतृत्व एक आयुक्त (Commissioner) करेगा।
   - यह ब्यूरो प्रवासन को नियंत्रित करेगा, विदेशियों के प्रवेश और निकास की निगरानी करेगा, और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्यों का पालन करेगा।
3. **केंद्र सरकार की शक्तियाँ:**
   - **अनुभाग 7 (Section 7):** केंद्र सरकार को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं:
     - प्रवेश और प्रस्थान बिंदु निर्दिष्ट करना और विदेशियों के आगमन पर शर्तें लगाना।
     - विदेशियों को निर्दिष्ट क्षेत्रों में रहने या कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकना।
     - पहचान की पुष्टि, बायोमेट्रिक जानकारी का प्रस्तुतिकरण और चिकित्सा परीक्षण की अनिवार्यता।
     - कुछ व्यक्तियों से मेल-जोल पर प्रतिबंध और विशिष्ट गतिविधियों में भाग लेने से रोक।
4. **दंड का प्रावधान (Punishments):**
   - **अनुभाग 21 (Section 21):** बिना वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ के किसी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विदेशियों के लिए दंड का प्रावधान।
   - सज़ा: पाँच साल तक का कारावास और/या ₹5 लाख तक का जुर्माना।
5. **वाहकों पर प्रतिबंध (Restrictions on Carriers):**
   - **अनुभाग 17 (Section 17):** वाहक (Carrier) को परिभाषित किया गया है जो हवाई, जल, या भूमि के माध्यम से यात्रियों या माल का परिवहन करने के व्यवसाय में लगे हुए हैं।
   - वाहकों को यात्रियों और चालक दल से संबंधित जानकारी प्रवासन अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त के साथ मांगने पर साझा करनी होगी।

विदेशियों और प्रवासन से संबंधित मौजूदा शासन:

1. **विदेशियों का पंजीकरण:**
   - वे विदेशी (भारतीय मूल के लोग सहित) जो लंबे समय के वीजा (अधिकतर 180 दिनों से अधिक) पर भारत आते हैं, उन्हें विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (Foreigners Regional Registration Officer) के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक है।
2. **वीजा नियम (Visa Regulations):**
   - **प्रवासन ब्यूरो (BoI):** यह विभिन्न देशों को इलेक्ट्रॉनिक वीजा जारी करने का कार्य करता है।
   - BoI की स्थापना 1971 में गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के अधीन की गई थी।
3. **प्रवासन (वाहकों की देयता) अधिनियम, 2000:**
   - यह अधिनियम उन वाहकों (Carriers) को जिम्मेदार ठहराता है जो पासपोर्ट अधिनियम (Passport Act) का उल्लंघन करने वाले यात्रियों को लेकर आते हैं।
4. **नागरिकता अधिनियम, 1955:**
   - यह अधिनियम विदेशी नागरिकों के अधिग्रहण (Acquisition) और उन्हें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) के रूप में पंजीकरण (Registration) करने के नियमों को नियंत्रित करता है।

स्वास्थ्य देखभाल संरचना में करुणा का निर्माण / Building Compassion into the Health-Care Structure

संदर्भ:

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने **" Compassion and Primary Health Care"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल में करुणा को एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उजागर किया गया है। **WHO के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस** ने विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता सुधार में करुणा की भूमिका पर जोर दिया।

Compassion in Health Care का महत्व:

स्वास्थ्य देखभाल में करुणा केवल एक नैतिक दायित्व नहीं है बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता भी है। यह निम्नलिखित तरीकों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है:

1. **उपचार की दर में वृद्धि (Enhances Recovery Rates):** करुणापूर्ण देखभाल से रोगियों के उपचार में तेजी आती है और उनका स्वास्थ्य जल्दी सुधारता है।
2. **मानसिक कल्याण में सुधार (Improves Mental Well-being):** करुणापूर्ण व्यवहार रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
3. **रोगी-प्रदाता संबंधों को मजबूत करना (Strengthens Patient-Provider Relationships):** करुणापूर्ण दृष्टिकोण से डॉक्टर और मरीज के बीच विश्वास और समझ बढ़ती है।
4. **स्वास्थ्य कर्मियों में बर्नआउट को कम करना (Reduces Burnout Among Health-Care Professionals):** यह दृष्टिकोण स्वास्थ्य कर्मियों के बीच तनाव और बर्नआउट को कम करने में मदद करता है।

Compassionate Health Care के लाभ:

स्वास्थ्य देखभाल में करुणा का महत्व केवल नैतिक दायित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मरीजों और चिकित्सा पेशेवरों दोनों के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है।

मरीजों के लिए लाभ:

1. **तेज़ी से ठीक होना (Faster Recovery):**
   - स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर कम्पैशन एंड ऑल्टुइज़्म रिसर्च एंड एजुकेशन (CCARE) के शोध के अनुसार, करुणा के साथ इलाज किए गए मरीजों में तेजी से सुधार होता है और अस्पताल में रहने की अवधि कम होती है।
2. **तनाव और चिंता में कमी (Reduced Anxiety):**
   - जॉन्स हॉपकिन्स अस्पताल में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि यदि डॉक्टर सिर्फ 40 सेकंड और खर्च करके मरीजों को सांत्वना देते हैं, तो उनकी चिंता में कमी आती है और उनके सुधार की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

चिकित्सा पेशेवरों के लिए लाभ:

1. **तनाव में कमी और संतुष्टि में वृद्धि:**
   - करुणा का अभ्यास करने से चिकित्सा पेशेवरों का तनाव कम होता है और उनकी नौकरी में संतुष्टि बढ़ती है।
2. **मरीजों के साथ अच्छे संबंध:** करुणापूर्ण दृष्टिकोण से डॉक्टर और मरीज के बीच विश्वास और समझ को बढ़ावा मिलता है।
3. **बर्नआउट से बचा:** भावनात्मक जुड़ाव और पेशेवरता के बीच संतुलन बनाए रखने से चिकित्सा पेशेवर बर्नआउट से बच सकते हैं और गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान कर सकते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य में करुणा की आवश्यकता (Need for Compassion in Mental Health):

डिप्रेशन (अवसाद) के वैश्विक महामारी बनने की संभावना को देखते हुए, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में करुणा को शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। करुणापूर्ण दृष्टिकोण के लाभ निम्नलिखित हैं:

करुणापूर्ण दृष्टिकोण के लाभ:

1. **रोगियों के उपचार में सुधार:**
   - करुणा आधारित देखभाल से मरीजों में मानसिक और भावनात्मक सुधार में तेजी आती है।
2. **मानसिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन:**
   - करुणापूर्ण दृष्टिकोण से मरीजों के आत्म-सम्मान और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।
3. **समुदाय में बेहतर पुनर्वास:**
   - करुणा के साथ देखभाल करना मरीजों के पुनर्वास और सामाजिक जीवन में शामिल होने में मदद करता है।

ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर / Online Gaming Sector

संदर्भ:

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में **ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर ₹1.12 लाख करोड़ के पिछली तिथि से लागू GST** की केंद्र सरकार की मांग पर रोक लगा दी है। इस फैसले ने **ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के विनियमन में सुधार** की आवश्यकता को उजागर किया है।

भारत में कानूनी रूप से मान्य ऑनलाइन गेम्स:

1. ई-स्पोर्ट्स (E-sports):

- यह संगठित इलेक्ट्रॉनिक खेलों को शामिल करता है जिसमें पेशेवर खिलाड़ी भाग लेते हैं।
- उदाहरण: BGMI, PUBG, Call of Duty, Tekken 7, DOTA 2, और FIFA।

2. फैंटेसी स्पोर्ट्स (Fantasy Sports):

- इसमें वास्तविक जीवन के खेल खिलाड़ियों का चयन करना और उनके प्रदर्शन के आधार पर पॉइंट्स प्राप्त करना शामिल है।
- उदाहरण: Dream 11 और My Fantasy 11।

3. स्किल आधारित गेम्स (Skill-Based Games):

- यह मानसिक कौशल (Mental Skill) पर आधारित गेम्स होते हैं।
- उदाहरण: ऑनलाइन शतरंज (Online Chess Games)।

भारत में ये गेम्स कानूनी रूप से मान्य हैं क्योंकि ये कौशल और रणनीति (Skill and Strategy) पर आधारित होते हैं।

भारत में ऑनलाइन स्किल-आधारित गेमिंग की संभावनाएँ:

- **उभरता हुआ क्षेत्र (Sunrise Sector):** यह भारत के प्रमुख उभरते क्षेत्रों में से एक है, जिसका तेजी से विकास हो रहा है।
- **तेजी से विकास (Exponential Growth):**
  - तीन भारतीय स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है।
  - PwC की रिपोर्ट के अनुसार:
    - **2023 में योगदान:** ₹33,000 करोड़।
    - **2028 तक अनुमानित योगदान:** ₹66,000 करोड़ (14.5% की वार्षिक वृद्धि दर से)।
- **रोजगार की संभावनाएँ:** यह क्षेत्र वर्तमान में 2 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का स्रोत है।
  - 2-3 लाख अतिरिक्त नौकरियाँ उत्पन्न होने की संभावना है।

भारत में ऑनलाइन गेमिंग के विकास को आकार देने वाले कारक:

1. **उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र का विकास:**
   - AVGC-XR (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics, Extended Reality) क्षेत्र में बढ़ती हुई स्टार्टअप्स की संख्या, गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स में नए उद्यमों को स्वदेशी समर्थन प्रदान कर रही है।
   - पिछले पांच वर्षों में तीन भारतीय गेमिंग स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं।
   - इन स्टार्टअप्स ने **घरेलू और वैश्विक निवेशकों से लगभग 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त किया है।**
2. **सस्ते डाटा की उपलब्धता:**
   - भारत में मोबाइल डाटा की कीमतें दुनिया में सबसे कम हैं, जो मनोरंजन और गेम खेलने के लिए डाटा उपयोग की संस्कृति को बढ़ावा देती हैं।
   - **2023 में, एक औसत भारतीय नागरिक ने प्रति माह 24.1 GB डाटा का उपयोग किया**, जो **2022 की तुलना में 24% अधिक है।**
3. **युवा गेमिंग समुदाय:**
   - भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसमें लगभग **650 मिलियन (65 करोड़) स्मार्टफोन उपयोगकर्ता** हैं।
   - भारत में **42.5 करोड़ गेमर्स** की एक बड़ी गेमिंग कम्युनिटी है।
   - मोबाइल उपयोगकर्ता इस उद्योग का **85%** हिस्सा बनाते हैं।
   - PUBG Mobile, Free Fire, Clash of Legends और Call of Duty Mobile जैसे मोबाइल गेम्स लोगों के गेमिंग की दुनिया में प्रवेश के मुख्य साधन हैं।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !

RRB NTPC

TEST SERIES

- 100+ Mock Test
- 78 Sectional Test
- 40+ years PYPs
- 60+ Current affairs

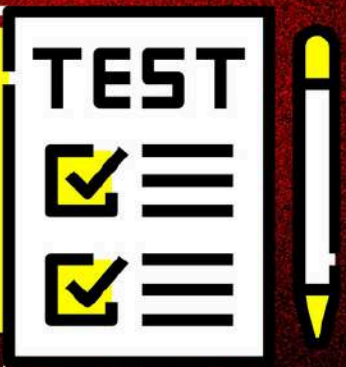

Only 99 Per Year

Buy Now

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

FOR ALL

- POLITY
- ECONOMICS
- HISTORY
- GEOGRAPHY

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs 4999/-

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

ONLY POLITY

1499 RS

- DAILY LIVE CLASSES
- WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !